

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 149/13

संस्थापन दिनांक :- 11/06/13

फाइलिंग नं. 233504000382013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

हरीराम पिता भग्गू सरयाम
उम्र 25 वर्ष, निवासी लादी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 18.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 08.06.2013 को समय 11:30 बजे मेन मार्केट आमला लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 14 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.06.2013 को सहायक उप निरीक्षक जी.पी. रम्मारिया को दूरभाष पर सूचना मिली कि मेन मार्केट आमला में एक व्यक्ति हाथ में छुरी लिए घूम रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा तथा अवैध छुरी रखने संबंधी कागजात पूछने पर नहीं होना बताया। जिस पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 121/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.06.2013 को समय 11:30 बजे मेन मार्केट आमला लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 14 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 08.06.2013 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए टेलीफोन से प्राप्त सूचना की तत्पश्चात् हेतु वह हमराह स्टाफ के मेन मार्केट बाजार आमला पहुंचा जहां आप अभियुक्त उसे अवैध रूप से लोहे की छुरी रखे मिले। उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 121/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 यादोराव (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथनों से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 हरिप्रसाद (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में वर्ष 2013 में पुलिस थाना आमला में नगर सैनिक के पद पर पदस्थ रहते हुए रम्भारिया साहब कि साथ पीर मंजिल जाना जहां अभियुक्त का हाथ में लोहे की छुरी लेकर आने जाने वालों को डराते धमकाते मिलना तथा अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर

उसे गिरफ्तार करना बताया है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-3) एवं स्वतंत्र साक्षी हरिप्रसाद (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत **नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में टेलीफोन पर सूचना मिलने पर मेन मार्केट आमला में पहुंचकर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष छुरी जप्त करना एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है और जप्ती पत्रक में नमूना सील भी अंकित नहीं की गयी है।

10 साक्षी जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-3) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा जप्तशुदा आयुध की मौके पर नापजोप कर उसे सीलबंद किया गया हो। साथ ही जप्तशुदा आयुध के धारदार होने के संबंध में भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किये हैं। न ही उपर्युक्त के संबंध में साक्षी के कथनों से कोई स्पष्टीकरण दर्शित हो रहा है। किसी स्वतंत्र साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती का समर्थन नहीं किया है। रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.06.2013 को समय 11:30 बजे मेन मार्केट आमला लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 14 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त हरीराम को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का

निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)